



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1829 / SEIAA/2022

Date: 18/10/22

प्रति,

श्री भोलेराम अहिरवार,

आत्मज श्री हरिराम अहिरवार,

निवासी- ग्राम रैपुरा,

तहसील व जिला सागर (उ.प्र.)

विषय:-प्रकरण क्र. 8926/2022 : परियोजना प्रस्तावक श्री भोलेराम अहिरवार आत्मज श्री हरिराम अहिरवार, निवासी- ग्राम रैपुरा, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान एरिया 3.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 366, ग्राम जसराज, तहसील - सागर, जिला सागर (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स ज्वाला मॉ एसोसिएट, पार्टनर श्री होशियार सिंह आत्मज श्री घिसाराम एवं 02 अन्य, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

प्रकरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 719 वी बैठक दिनांक 21.04.2022 में लिये गये निर्णय अपरांत 750 वी बैठक दिनांक 13.10.2022 पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि DEIAA द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31.05.2016 में निहित वृक्षारोपण की शर्त अनुसार वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की निहित वृक्षारोपण की शर्त अनुसार वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर फोटोग्राफ अक्षांश, देशांश सहित जानकारी SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण पर विचार किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)

सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1830 /SEIAA/2022

दिनांक - 18/10/22

प्रतिलिपि:-

मेसर्स ज्वाला मॉ एसोसिएट, पार्टनर श्री होशियार सिंह आत्मज श्री घिसाराम एवं 02 अन्य, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.)

(अलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी